

राजस्थान सरकार  
कार्यालय रजिस्ट्रार (संस्थाएँ), जोधपुर

-:: संशोधित प्रमाण पत्र ::-

प्रमाणित किया जाता है कि "श्री महालक्ष्मी कन्या पाठशाला मैनेजिंग कमेटी, जोधपुर, जिला- जोधपुर का पंजीयन जयपुर कार्यालय द्वारा पंजीयन क्रमांक- 152/1957-58 दिनांक तीन मार्च, 1958 को सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के तहत किया गया था।"

आज दिनांक 30 जून, 2008 को इस संस्था का नाम राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के तहत परिवर्तित करके श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान, जोधपुर, जिला-जोधपुर कर दिया गया है।

यह संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र आज दिनांक 30 जून, 2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(अनिल मेहता)  
रजिस्ट्रार (संस्थाएँ)  
जोधपुर